उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
दिनांक 12.02.2024

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/सं.प./02/24

मण्डल रेल प्रबन्धक . अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

<u>संरक्षा परिपत्र 02/2024</u>

8.15. <u>ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अवरोध के लिए प्राधिकारः</u>– ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अवरोध की अनुमति देते समय, ड्राइवर को ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित प्राधिकार दिया जाएगा और यह प्राधिकार निम्नलिखित किसी भी रूप मे हो सकता है, अर्थातः–

(क) अन्तिम रोक (स्टॉप) सिगनल वाले खम्भे पर ही, उससे नीचे निर्धारित आकार तथा डिजाइन की एक शंटिंग भुजा, अथवा

(ख) निर्धारित डिजाइन का टोकन अथवा

(ग) शंटिंग करने की लिखित अनुमति

स.नि.8.15(1):– ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की अनुमति देते समय ब्लॉक बैक और ब्लॉक फारवर्ड के साथ–साथ जैसा कि ब्लॉक संचालन नियमावली में दिया गया है। यह प्राधिकार दिया जायेगा जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। यह प्राधिकार इस प्रकार होगाः–

(i) दोहरी और इकहारी दोनों लाइनों परः– जब ड्राइवर को दोहरी लाइन और इकहरी लाइन दोनों पर अन्तिम रोक सिगनल को पार करना हो तो साधारण नियम 8.15 के खण्ड (क) के अनुसार लगाये गए शंट सिगनल को 'ऑफ' करके और शंटिंग आदेश फार्म टी–806 पर विशिष्ट लिखित प्राधिकार देकर।

(ii) इकहरी लाइन परः– जहां नील्स बॉल टोकन या टेबलेट यंत्र लगे हों वहॉ ड्राइवर को सम्बद्ध टोकन या टेबलेट या टोकन रहित ब्लाक क्षेत्र में शंटिंग अधिकार चाबी सौंप कर और शंटिंग आदेश (टी–806) पर एक विशिष्ट लिखित प्राधिकार देकर।

(iii) दोहरी लाइन परः– जहॉ डैडो के ब्लाक यंत्र प्रयोग में लाये जाते हैं वहॉ ड्राइवर को अधिकार चाबी (आक्यूपेशन की) सौंप कर और फार्म टी.–806 पर शंट करने का विशिष्ट लिखित प्राधिकार जारी करके। अन्य यंत्रों के मामलों में टी–806 पर विशेष अनुदेश जारी किये जाने चाहिए।

(iv) शंटिंग की अनुमति देते समय निम्नलिखित मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए फार्म टी–806 गाड़ी के गार्ड और ड्राइवर को अवश्य जारी किया जाये और दोनों की पावती प्राप्त की जायेः–

(क) शंटिंग की सीमाएं।

(ख) किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा।

(ग) परिचालित लाइन तथा अन्य लाइन तथा अन्य लाइनें जिन पर संचलन किया जाना है।

(घ) अनुमानित समय, जब तक शंटिंग कार्य पूरा किया जाना है।

(v) जब किसी गाड़ी के शंटिंग की अनुमति दी जाये तो इस आशय की उपयुक्त प्रविष्टियां गाड़ी सिगनल रजिस्टर और सहायक स्टेशन मास्टर तथा स्विचमैन की लॉग बुक और केबिन मैन लॉग बुक में की जानी चाहिए।

स.नि.8.15(2) स्टेशन मास्टर टोकन/टेबलेट/शंटिंग अधिकार चाबियों और/या लिखित प्राधिकार पर निर्दिष्ट दिशा से आने वाली गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर देने से पहले उक्त प्राधिकारों को वापस ले लेगा।

स.नि.8.15(3) जब सामान्य नियम 8.15 के अनुसार ब्लाक सेक्शन पर शंटिंग की अनुमति दी जाती है तो ऐसे संचलनों को शासित करने के लिए स्टेशन संचालन नियमों में उपयुक्त अनुदेश शामिल किए जायेंगे।

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिः–

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.– को सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।